निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-53 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निबंधक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निबंधक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून** के माह **11/2009** से **12/2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** एवं **श्री रविन्द्र कुमार जयन्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **17.01.2019** से **22.01.2019** तक **श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री दानिश इकबाल एवं श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **11.11.2009** से **23.11.2009** तक श्री पुष्कर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **स्थापना** से **10/2009** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **उत्तराखण्ड राज्य**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	248.00	231.55	42.60	40.70	-	18.35
2015-16	-	-	250.00	240.50	26.95	26.05	-	10.40
2016-17	-	-	318.40	230.06	30.06	23.76	-	94.64
2017-18	-	-	318.40	223.92	35.75	25.34	-	104.89
2018-19 (12/18 तक)	-	-	389.64	254.55	41.66	21.65	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन **<u>राज्य सरकार</u>** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**<u>सी</u>**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मा. अध्यक्ष महोदय (विभागाध्यक्ष)	
मा. निबन्धक महोदय (कार्यालयाध्यक्ष)	**मा. उपाध्यक्ष महोदय (न्यायिक)**
मा. संयुक्त निबन्धक (न्यायिक एवं प्रशासनिक)	**मा. उपाध्यक्ष महोदय (प्रशासनिक)**
उप निबन्धक	**मा. सदस्य महोदय (न्यायिक)**
सहायक निबन्धक	**मा. सदस्य महोदय (प्रशासनिक)**
कार्यालय अधीक्षक (न्यायिक)	
कार्यालय अधीक्षक (प्रशासनिक)	
निजी सचिव	

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **<u>वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा</u>** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>निबंधक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2013, 12/2013, 3/214, 03/2015** एवं **03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13 व 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तरः1-</u> रू 1.40 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 12.1 के अनुसार एक लाख से अधिक एवं रू 15 लाख की सामग्री क्रय हेतु सीमित निविदा प्रक्रिया अपना कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

कार्यालय के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में मैमर्स विशाल कम्प्यूटर सालूशन, देहरादून के बिल संख्या 3317 दिनांक 25.11.2011 को रू 140051 के कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर किया गया जोकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि आकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि की जाती है। DGS&D की रेट कन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाने के कारण क्रय समिति के निर्णायानुसार क्रय किया गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा रेट कन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था तो निविदा प्रक्रिया अपनाकर कर क्रय किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था। जिससे विभाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित रहा।

अतः रू 1.40 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः01- अनियमित क्रय ₹ 0.33 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 15,000 से अधिक तथा ₹ 1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय निबंधक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के क्रय संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-47 'कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय' से वर्ष 2013-14 में ₹12600+10345+10000 कुल **₹ 32945** का क्रय, क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किया गया। विवरण निम्न है

फर्म का नाम	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**धनराशि (₹ में)**
M/S The Print Mall, Dehradun	05721	13.03.2014	12600
	05722	15.03.2014	10345
	05723	20.03.2014	10000
योग			**32945**

उक्त समस्त क्रय हेतु माह फरवरी 2014 में उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई, तत्पश्चात एक ही फर्म से निविदा प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अलग-अलग तिथियों को भिन्न-भिन्न सामग्रियों का क्रय मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त किया गया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति को सिद्ध करता है। किसी भी क्रय को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार न किया जाना नियमावली का उल्लंघन है।

अतः इकाई द्वारा क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2- कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ न दिया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त वे0आ0-सा0नि0अनुभाग-7संख्या-290/xxvii(7)50(16)/2016 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर 2016 के संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण प्रस्तर 7 के अनुसार दिनांक 31.12.2015 को मूल वेतन में 2.57 के गुणांक से गुणा करने के पश्चात दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण किया जायेगा।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि समस्त कर्मियों का नियमितीकरण कार्यालय आदेश 63 दिनांक 21.03.2012 एवं कार्यालय आदेश 382, 383 दिनांक 31.03.2012 द्वारा किया गया था। लेकिन उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश जारी होने के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अतिथि तक उक्त कर्मियों का सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का निर्धारण नही किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण उत्तर मान्य नही है, क्योंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश जारी होने के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ नही दिया गया था।

अतः कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ न दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
ए.एम.जी.-1/ले.प.प्रति.-38/2009-10	शून्य प्रतिवेदन		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाांए उपलब्ध कराने हेतु **<u>निबंधक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून</u>** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2. **सतत् अनियमितताएः <u>शून्य</u>**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गयाः**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री आर.सी.कुकरेती	**निबंधक**	01.10.2009	30.04.2011
2.	श्री सहदेव सिंह	**निबंधक**	12.05.2011	05.09.2011
3.	श्री पंकज तोमर	**निबंधक**	24.05.2012	20.07.2012
4.	श्री नितिन शर्मा	**निबंधक**	20.07.2012	01.05.2014
5.	श्री धर्म सिंह	**निबंधक**	02.05.2014	15.04.2015
6.	श्री एम.सी. कोशिवा	**निबंधक**	15.04.2015	12.10.2015
7.	श्री सी.पी.बिजल्वाण	**निबंधक**	13.10.2015	10.08.2017
8.	श्रीमती अंजूश्री जुयाल	**निबंधक**	10.08.2017	27.02.2018
9.	श्रीमती पारुल गैरोला	**निबंधक**	27.02.2018	16.04.2018
10.	श्री सी.पी.बिजल्वाण	**निबंधक**	18.08.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय निबंधक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र